| | |
|---|---|
| 17/1/2020 | पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी नं. 1 व 2 डिक्री किया जाता है। काउन्टर क्लेम |

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | प्रतिवादी नम्बर 4 खारिज किया जाकर डिक्री विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>करौली (राज०) |

Scanned with CamScanner

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई
## (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली
## पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

विष्णुचंद पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली

——वादी

**बनाम**

1 रामसिह माली पुत्र लक्ष्मी जाति माली निवासी ग्राम बरखेडा पुल के पास कस्वा करौली तहसील व जिला करौली
2 रमेश पुत्र रतनलाल जाति खटीक निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली
3. परसादी पुत्र भौला जाति माली निवासी बरखेडा पुल के पास करौली –मृतक
1/1 मुशी पुत्र परसादी } जाति माली निवासी बरखेडा पुल के पास करौली
1/2 गोपाली पुत्री परसादी }
4 कल्याण पुत्र रतन जाति कहार निवासी बरखेडा पुल के पास करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा 188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 390/2002
निर्णय दिनांक 17.02.2020

वादी की ओर श्री विष्णुचंद बंसल एडबोकेट उपस्थित एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री बाबूलाल शर्मा एडवोकेट श्री गोपाल लाल गुप्ता एडवोकेट एवं श्री रमेश चंद शर्मा एडबोकेट उपस्थित है इस वाद मे आज तारीख 10.02.2020(नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी करौली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है। और डिक्री दी जाती है। **अतः दावा विरूद्व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 डिक्री किया जाता है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 6472 रकवा 4 वीधा 8 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 9 तहसील करौली मे कोई निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 खसरा नम्बर 6472 के पश्चिम मे किये गये निर्माण कार्य को दो माह मे अपने खर्चे से हटा ले प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा निर्माण नही हटाने पर वादी न्यायालय से निर्माण हटवाने का अधिकारी है। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 4 खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।**

यह आज तारीख 17.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

वादे के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>2 कमिश्नर की फीस<br>3 आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड | | जोड | |

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

| मु.न. | किस्म मुकदमा | ता.रजू |
|---|---|---|
| 390/02 | धारा 188आर.टी.एक्ट | 26.9.02 |

**उनवान**

विष्णुचंद पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली

--वादी

**बनाम**

1 रामसिह माली पुत्र लक्ष्मी जाति माली निवासी ग्राम बरखेडा पुल के पास कस्वा करौली तहसील व जिला करौली

2 रमेश पुत्र रतनलाल जाति खटीक निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली

3. परसादी पुत्र भौला जाति माली निवासी बरखेडा पुल के पास करौली –मृतक

1/1 मुशी पुत्र परसादी } जाति माली निवासी बरखेडा पुल के पास करौली

1/2 गोपाली पुत्री परसादी }

4 कल्याण पुत्र रतन जाति कहार निवासी बरखेडा पुल के पास करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

**निर्णय** दिनांक 17.02.2020

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 6474 रकवा 4 वीधा 8 विस्व कस्वा करौली मे वादी खातेदार काश्तकार है वादी का 1/3 हिस्सा है। परसादी का 1/3 हिस्सा है कल्याण का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का खसरा नम्बर 6472 की भूमि से कोई मालिकाना काबिजाना खातेदारी काश्तकारी सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 वादी के साथ सहखातेदार है। वादी के साथ दावा करने मे शामिल नही है। इस लिऐ प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि जो कृर्षि भूमि है मे निर्माण करने का कोई किसी तरह का अधिकार नही है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अनाधिकार तौर पर वादी के मना करने के बाबजूद खसरा नम्बर 6472 के पश्चिम मे निर्माण कार्य भूमि मे आज दिनांक 18.9.2002 से प्रारम्भ कर दिया है। अभी नीव का काम चल रहा है वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादी नही मान रहा है और आमादा फिसाद है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की कार्यवाही अनाधिकार है जिससे हकूक वादी पर आधात है। और वादी को भारी नुकसान व असुविधा है इस लिए न्यायहित मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को वादी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया है। को न्यायालय द्वारा मेण्डेररी आदेश द्वारा तुडवाया जाना हटवाया जाना न्यायोचित है अन्त मे दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी नम्बर 1 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वादी ने दावा बदनीयति पारस्परिक दुश्मनी के कारण पेश किया है खसरा नम्बर 6472 के पश्चिम मे निर्माण कार्य को ऐवरमेट दावे मे किया है ना तो कोई नाप जोख दी है ना कोई निर्माण की तफसील दी है दावा के साथ कोई नक्शा पेश नही किया है। दावा वेग आधारो पर पेश किया है खसरा नम्बर 6472 से मिला हुआ खसरा नम्बर 6481 6482 प्रतिवादी रामसिह के खाता व कब्जे का है इसी अपने रकवे मे प्रतिवादी ने मात्र कुर्सी उठाई है एक इन्च भी वादी की आराजी मे से नही दवाई गई है। यदि वादी को कोई उज्र था तो उसको जाप्ते मे वादग्रस्त नम्बर व प्रतिवादी के नम्बरान की हदवन्दी व नाम कानूनी तरीके पर तहसीलदार करौली से कराना आवश्यक है। तभी दोनो नम्बरान की सीमा का सही ज्ञान हो सकता है। अन्त मे दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी नम्बर 2 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया है। कि मुझ प्रतिवादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की आराजी मे कोई निर्माण नही किया गया है। बल्कि मुझ प्रतिवादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6481,6482 मे से

Scanned with CamScanner

एक प्लाट 50 गुणा 50 वर्ग फुट का खातेदार प्रतिवादी रामसिह से खरीद किया है। जिसमे मुझ प्रतिवादी ने अपनी सीमाबंदी के लिऐ मात्र दासा फिरवाया है। खसरा नम्बर 6472 मे मुझ प्रतिवादी द्वारा कोई निर्माण नही किया गया है। दावा म्याद बाहर है वादी ने दावा वदनीयति पारस्वरिक दुश्मनी के कारण पेश किया। अन्त मे दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी नम्बर 3 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से खसरा नम्बर 6472 के पश्चिम मे निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर निर्माण कार्य को रोकने के लिए व मिटटी खुदाई के लिए काफी मना किया लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 नही माने इस लिऐ प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 6472 मे निर्माण नही करने को एवं प्रतिवादी नम्ब 1 व 2 द्वारा किये गये अनाधिकार निर्माण को न्यायालय द्वारा तुडवाया जाना न्यायोचित है। खसरा नम्बर 6472 वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का समान हिस्सा 1/3–1/3 के यानि बराबर –बराबर के हिस्सेदार है अन्त मे दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी नम्बर 4 ने जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मे वादी का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होना स्वीकार करते हुये भौरू प्ररसादी एवं छोटे पिसरान भोला माली की मूल रूप मे उबड खावड उची नीची डाढे के रूप मे जमीन थी भौरू प्रसादी छोटे ने आपस मे उक्त आराजी का वाहमी बटबारा किया उत्तरी हिस्सा परसादी का मध्य का हिस्सा भौरू का एवं दखिण का हिस्सा छोटे के वट मे आया भौरू ने गोपाल को एवं छोटे ने मुझ प्रतिवादी कल्याण को अपना हिस्स बेचदिया वादी ने अपना हिस्सा गोपाल से क्रय किया परसादी ने उत्तरी हिस्से को अपनी दीगर आराजीयात के साथ मिलाकर एक चक बना लिया है वादी ने गोपाल का हिस्सा जो मध्य का है खरीद किया है मध्य का हिस्स कभी काश्त नही हुआ जो आज भी डाढो एवं मेडो के रूप मे उबड खावड पडा हुआ है दक्षिणी हिस्स प्रतिवादी नम्बर 4 का है जिसमे प्रतिवादी नम्बर 4 ने एक आटा व चक्की 18–20 साल पूर्व की खोल रखी है एवम एक परचूनी की दुकान भी तभी से खेल रखी है वादी दक्षिणी हिस्से मे रिहायश करता है प्रतिवादी नम्बर 4 ने अपने हिस्से की जमीन को समतल कर उपजाउ सिचित एवं काबिल काश्त बना लिया है औरएक बगीची भी लगा रखी है जिसमे नीबू पपीता के फलदार वृक्ष लगा रखे है फल सब्जी प्रतिवादी नम्बर 4 द्वारा काश्त की जाती है। खसरा नम्बर 6472 वरगद के पेड की तरह अनेक शाखाओ वाली कटी फटी जमीन थी खसरा नम्बर 6472 कस्वा करौली सडक सीमा मे आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने मुझ प्रतिवादी नम्बर 4 की दक्षिणी हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 6472 की जमीन को दवाकर 40 गुणा 50 फुट जमीन मे नीव खोदकर निर्माण कार्य शुरू किया मैने तहसीलदार करौली को शिकायत की तहसीलदार के आदेश से हल्का पटवारी ने मौके पर निर्माण कार्य बन्द करने का कहा और पटवारी हल्का को तहसीलदार करौली को अनाधिकृत निर्माण की रिपोर्ट की निर्माण बन्द नही करने पर मुझ प्रतिवादी नम्ब्र 4 ने दीवानी अदालत मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्माण कार्य नही करने के लिए पाबंद करवा दिया है वादी का दावा चलने योग्य नही है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर खसरा नम्बर 6472 मे सिकी प्रकार का निर्माण कार्य पश्चिमी हिस्से मे नही करने के लिऐ प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को पाबंद किया जावे एवं जो निर्माण कार्य किया है उसे हटवाया जावे। बटबारा हिस्सा दक्षिणी का प्रतिवादी नम्बर 4 का घोषित किया जावे एवं वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 को पाबंद किया जावे। अन्त मे दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 4 डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

जबाव काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 6472 का पूर्व खातेदारान के मध्य कोई बटबारा नही हुआ है। दावा वादी सही है। वादी का भूमि पर कब्जा काश्त हिस्सा अनुसार है जमीन कुआ सभी खातेदारान की शामलाती है मौके पर कोई चक्की नही है ना ही कोई परचूनी की दुकान है। ना ही कोई फलदार वृक्षो की बगीची है वादग्रस्त खसरा नम्बर मे कोई नीवू पपीता के पेड नही लगे है। प्रतिवादी नम्बर 4 ने कभी भी उक्त जमीन को समतल नही करवाया है ना उपजाउ बनाया है ना ही पक्षकारान के मध्य पूर्व मे की कोई बटबारा हुआ था और नाही प्रतिवादी नम्बर 4 ने उक्त पूर्व

Scanned with CamScanner

के खातेदार से दक्षिणी हिस्सा खरीदा प्रतिवादी नम्बर 4 की सारी कहानी मनगन्ढत है। और उसके दिल मे वदनियती आ गयी है और वदनियती पूर्ण तरीके से प्रतिवादी नम्बर 4 उक्त खसरा नम्बर 6472 की दक्षिणी ओर की कीमती जमीन लवे सडक को हडपना चाहता है जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का संयुक्त कब्जा वाद ग्रस्त भूमि पर है। जिसमे प्रत्येक जगह पर तीनो खातेदारो का समान समान हिस्सा है। वादग्रस्त रकवा मे कुआ का निर्माण भी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 3 व 4 ने बराबर बराबर पैसा लगाकर करवाया है काउण्टर क्लेम निराधार है वादी प्रतिवादी नम्बर 4 के विरूद्व कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का अधिकारी नही अन्त मे काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 4 मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वादी द्वारा काउण्टर क्लेम का जबाव प्रस्तुत नही किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिबचनो के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दू विरचित किये गये।

1 आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 6472 रकवा 4 वीधा 8 विस्वा ग्राम कस्वा करौली मे स्थित है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा है वादी खातेदार काश्तकार है वादी प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है। ——वादी

2 अनुतोष

वाद विवाधक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गयी वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे वादी डीडब्लू 1 विष्णुचंद स्वयं के बयान लेखवध कराकर नकल जमाबदी सम्बत 2056–59 प्रदर्श 1 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादी बन्द की गयी।

साक्ष्य प्रतिवादीगण ली गई प्रतिवाादी नमबर 1 व 2 , 3 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य बन्द की गयी। प्रतिवाादी नम्बर 4 द्वारा मौखिक साक्ष्य मे सव्ये प्रतिवादी नम्बर 4 कल्याण डीडब्लू 1 के बयान लेखवध कराये गये है साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी।

बहस वकील फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस मे कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 6472 रकवा 4 वीधा 8 विस्व कस्वा करौली मे वादी खातेदार काश्तकार है वादी का 1/3 हिस्सा है। परसादी का 1/3 हिस्सा है कल्याण का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का खसरा नम्बर 6472 की भूमि से कोई मालिकाना काबिजाना खातेदारी काश्तकारी सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि जो कृर्षि भूमि है मे निर्माण करने का कोई किसी तरह का अधिकार नही है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अनाधिकार तौर पर वादी के मना करने के बाबजूद खसरा नम्बर 6472 के पश्चिम मे निर्माण कार्य भूमि मे दिनांक 18.9.2002 से प्रारम्भ कर दिया है। अभी नीव का काम चल रहा है वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादी नही माना और आमादा फिसाद हो गया । प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की कार्यवाही अनाधिकार है हकूक वादी पर आधात है। वादी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का बहस मे कथन है। कि वादी ने दावा बदनीयति पारस्परिक दुश्मनी के कारण पेश किया है खसरा नम्बर 6472 के पश्चिम मे निर्माण कार्य को ऐवरमेट दावे मे किया है ना तो कोई नाप जोख दी है ना कोई निर्माण की तफसील दी है दावा के साथ कोई नक्शा पेश नही किया है। दावा वेग आधारो पर पेश किया है खसरा नम्बर 6472 से मिला हुआ खसरा नम्बर 6481 6482 प्रतिवादी रामसिह के खाता व कब्जे का है इसी अपने रकवे मे प्रतिवादी ने मात्र कुर्सी उठाई है एक इन्च भी वादी की आराजी मे से नही दवाई गई है। यदि वादी को कोई उज्र था तो उसको जाप्ते मे वादग्रस्त नम्बर व प्रतिवादी के नम्बरान की हदवन्दी व नाप कानूनी तरीके पर तहसीलदार करौली से कराना आवश्यक है। तभी दोनो नम्बरान की सीमा का सही ज्ञान हो सकता है। दावा वादी खारिज किया जावे।

वकील प्रतिवादी नम्बर 3 का बहस मे कथन है। कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से खसरा नम्बर 6472 के पश्चिम मे निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर निर्माण कार्य को रोकने के लिए व मिटटी खुदाई के लिए काफी मना किया लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 नही माने इसलिऐ प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 6472 मे निर्माण नही करने को एवं प्रतिवादी नम्ब 1 व 2 द्वारा किये गये अनाधिकार निर्माण के न्यायालय द्वारा तुडवाया जाना न्यायोचित है। खसरा नम्बर 6472 वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का समान हिस्सा

Scanned with CamScanner

1/3–1/3 के यानि बराबर –बराबर के हिस्सेदार है अन्त मे दावा वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी नम्बर 4 का बहस मे कथन है कि वादी का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होना स्वीकार करते हुये भौरू प्ररसादी एवं छोटे पिसरान भोला माली की मूल रूप मे उबड खावड उची नीची डाढे के रूप मे जमीन थी भौरू प्रसादी छोटे ने आपस मे उक्त आराजी का वाहमी बटबारा किया उत्तरी हिस्सा परसादी का मध्य का हिस्सा भौरू का एवं दक्षिणी का हिस्सा छोटे के वट मे आया भौरू ने गोपाल को एवं छोटे ने मुझ प्रतिवादी कल्याण को अपना हिस्सा बेचदिया वादी ने अपना हिस्सा गोपाल से कय किया परसादी ने उत्तरी हिस्से को अपनी दीगर आराजीयात के साथ मिलाकर एक चक बना लिया है वादी ने गोपाल का हिस्सा जो मध्य का है खरीद किया है मध्य का हिस्स कभी काश्त नही हुआ जो आज भी डाढो एवंमेडो के रूप मे उबड खावड पडा हुआ है दक्षिणी हिस्स प्रतिवादी नम्बर 4 का है जिसमे प्रतिवादी नम्बर 4 ने एक आटा व चक्की 18–20 साल पूर्व की खोल रखी है एवं एक परचूनी की दुकान भी तभी से खोल रखी है वादी दक्षिणी हिस्से मे रिहायश करता है प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपने हिस्से की जमीन को समतल कर उपजाउ सिचित एवं काबिल काश्त बना लिया है और एक बगीची भी लगा रखी है जिसमे नीबू पपीता के फलदार वृक्ष लगा रखे है फल सब्जी प्रतिवादी नम्बर 4 द्वारा काश्त की जाती है। खसरा नम्बर 6472 वरगद के पेड की तरह अनेक शाखाओ वाली कटी फटी जमीन थी खसरा नम्बर 6472 कस्वा करौली सडक सीमा मे आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने मुझ प्रतिवादी नम्बर 4 की दक्षिणी हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 6472 की जमीन को दवाकर 40 गुणा 50 फुट जमीन मे नीव खोदकर निर्माण कार्य शुरू किया मैने तहसीलदार करौली को शिकायत की तहसीलदार के आदेश से हल्का पटवारी ने मौके पर निर्माण कार्य बन्द करने का कहा और पटवारी हल्का को तहसीलदार करौली को अनाधिकृत निर्माण की रिपोर्ट की निर्माण बन्द नही करने पर मुझ प्रतिवादी नम्बर 4 ने दीवानी अदालत मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्माण कार्य नही करने के लिए पाबंद करवा दिया है वादी का दावा चलने योग्य नही है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर खसरा नम्बर 6472 मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य दक्षिणी हिस्से मे नही करने के लिऐ प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को पाबंद किया जावे एवं जो निर्माण कार्य किया है उसे हटवाया जावे।

बहस वकील फरीकेन का मन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया।

प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

विवाधक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस समबन्ध मे जमाबदी सम्बत 2056–59 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है जिसमे वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के सयुक्त खातेदारी मे अंकित है वादी ने अपने 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के साथ सयुक्त कब्जा होना अपने वयान मे कथन किया है प्रतिवादी नम्बर 4 कल्याण ने भी जिरह मे वाद ग्रस्त भूमि मे सामान्य हिस्सा 1/3–1/3 होना एवं रिकार्ड मे बटबारा नही होना स्वीकार किया है मौखिक बटबारा के कोई दस्तावेज प्रतिवादी नम्बर 4 ने पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी प्रस्तुत नही की है। जबाव दावा मे भी खसरा नम्बर6472 वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खातेदारी की होना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति मे वादी वादग्रस्त भूमि का 1/3 हस्से का खातेदार काश्तकार है वादी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है अत विवाधक संख्या 1 वादी के पक्ष मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विरूद्व तय किया जाता है।

विवाधक संख्या 2 अनुतोष है। विवादक संख्या 1 के विवेचन से खसरा नम्बर6472 वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के खातेदारी की होना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति मे वादी वादग्रस्त भूमि का 1/3 हस्से का खातेदार काश्तकार है काबिज है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का खसरा नम्बर 6472 से कोई सम्बन्ध नही होना प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का स्वीकृत तथ्य है। वादी खसरा नम्बर 6472 मे किये गये अवैध निर्माण कार्य को रूकवाने एवं हटवाने का हकदार है। दावा वादी डिकी किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

5

अतः दावा विरूद्व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 डिक्री किया जाता है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 6472 रकवा 4 वीधा 8 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 9 तहसील करौली मे कोई निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 खसरा नम्बर 6472 के पश्चिम मे किये गये निर्माण कार्य को दो माह मे अपने खर्चे से हटा ले प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा निर्माण नही हटाने पर वादी न्यायालय से निर्माण हटवाने का अधिकारी है। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 4 खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

**निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.04.09 13:47:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: